


24/5/19

प्राणली सींगट से हलब लेकर पेश हुई। मार्वी की धौर
से अधिवक्ता श्री प्रह्लाद कुमार शर्मा ने प्राणली पत्र
मरुतकर पत्थरगनी मकरण में हुक्मनामा आदेश
जारी किये हेतु विवेक किया गया। विपक्षिण के रूप में
पत्र हनील लेकर प्राप्त ले प्रक है जो संलग्न प्राणली
है। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि मार्वी ने
एक प्राणली पत्र अन्वति धारा 128 एल. आर. एक्ट
इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि मौजा ^{देखना} ~~देखना~~
की आरजी नम्बर 145/5 रकबा 0.4200 है अभि
प्राणली के कब्जे का प्रस्तावित किया है तथा खासदारी
में दर्ज रेकार्ड है। जिसके कोई शीमा पिहल नहीं

दोनों से मार्ग एवं विपक्षिण के मध्य आरजी की सीमा को लेकर आये दिन विवाद बराहे इसलिए उपरोक्त आरजी की पत्थरगरी कराई जाये।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। बस सुनी भई मार्ग जैर बस आरजी का खातेदार है। इहेनपरी करागे का अधिकार निहित है। अतः हसीलदार इंगला को १०००/- ~~रु~~ इजार रूपे पीस पर कमीस्तर नियुक्त किया जाकर अधिष्ठाित किया जाता है। कि मुकदमा जालीता पर पशुमास को उपरीक्षित में बयोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे में रखल दिये मौजा दालवी की धरतीनम्बर 145/52 कबा 0.4200 हे भूमि की पत्थरगरी मुकदमा हर पर की जाये। पत्थरगरी पालना रिपोर्ट के दिनांक 28/6/19 तक आश्वय्य रज्जा में पेश करे। इसी आशय का हुक्मनामा अधिस जासि है। पत्रावली इतजार पालना रिपोर्ट में दिनांक 28/6/19 को पेश है।


उपखण्ड अधिकारी
इंगला